रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228928 CG-DL-E-12082021-228928

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3009] No. 3009] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SRAVANA 21, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

का.आ. 3249(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

2. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 में, पैरा 18 में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(i) अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के लिए इस आदेश के तहत अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष होने पर।"

[फा. सं. 31011/14/2021-मूल्य निर्धारण]

रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश सां. आ. संख्या 1221 (अ) दिनांक 15 मई, 2013 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया: -

- (i) का. आ. संख्या 686(अ) दिनांक 9 मार्च, 2015;
- (ii) का. आ. संख्या 1233(अ) दिनांक 8 मई, 2015;
- (iii) का. आ. संख्या 701(अ) दिनांक 10 मार्च, 2016;
- (iv) का. आ. संख्या 1192(अ) दिनांक 22 मार्च, 2016;
- (v) का. आ. संख्या 4100(अ) दिनांक 21 दिसंबर, 2016;
- (vi) का. आ. संख्या 39(अ) दिनांक 3 जनवरी 2019.
- (vii) का. आ. संख्या 508(अ) दिनांक 1 फरवरी, 2021 और
- (viii) का. आ. संख्या 2899(अ) दिनांक 20 जुलाई, 2021

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

S.O. 3249(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Drugs (Prices Control) Third Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs (Prices Control) Order, 2013, in paragraph 18, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) every five years from the date of fixing the ceiling price under this Order for formulations as specified under the SCHEDULE - I.".

[F. No. 31011/14/2021-Pricing]

RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.1221 (E), dated the 15th May, 2013 and was subsequently amended *vide* notifications number:-

- (i) S.O. 686(E), dated the 9th March, 2015;
- (ii) S.O. 1233(E), dated the 8th May, 2015;
- (iii) S.O. 701(E), dated the 10th March, 2016;
- (iv) S.O. 1192(E), dated the 22nd March, 2016;
- (v) S.O. 4100(E), dated the 21st December, 2016;
- (vi) S.O. 39(E), dated the 3rd January, 2019;
- (vii) S.O. 508 (E), dated the 1st February, 2021; and
- (viii) S. O. 2899 (E), dated the 20th July, 2021.